भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3143

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

खान जल प्रबंधन

3143. श्री विजय बघेलः

श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में उपचारित खान जल के पीने, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सतत तथा सुरक्षित उपयोग के संबंध में नीतियों एवं दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीने के प्रयोजन हेतु आपूर्ति किए जाने वाले उपचारित खान जल के आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए अपनाए जा रहे गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित खनन से जुड़े सभी राज्यों में खान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा विकसित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के माध्यम से संबंधित पर्यावरणीय एवं जल संरक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप पेयजल, सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अवशोधित खान जल के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। लाभकारी उपयोग के लिए अवशोधित खान जल की गुणवत्ता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण

बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्देशित होती है। इसके अतिरिक्त, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए अवशोधित खान जल का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

(ख) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीने के प्रयोजनों के लिए अवशोधित खान जल स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएसआईएस 10500:2012), केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और किसी अन्य लागू मानकों द्वारा निर्धारित मपदंडों के अनुसार प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा अवशोधित खान जल का समय-समय पर परीक्षण करने सहित विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। आपूर्ति करने से पहले अवसादन, निस्पंदन और विसंक्रमण जैसी पर्याप्त अवशोधन प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) : छत्तीसगढ़ सहित सभी कोयला और लिग्नाइट खनन करने वाले राज्यों में खान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने सामुदायिक उपयोग, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खान जल के लाभप्रद उपयोग तथा स्थानीय समुदायों और औद्योगिक प्रयोजनों की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार अवशोधित खान जल की आपूर्ति करने की परियोजनाएं शुरू की हैं।

****